

[सभापति महोदय]

वस्तुव्य बीजबे। व्यवस्था की पहले ही कांजी बड़ी बंध गई है, अब प्राप्ति और अभी बत बनाइये।

श्रीमती कृष्णा साहू: मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ -

“बिहार में बेगूसराय जिला डाकघर के पोस्टमैन और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच वर्षों से वर्दी नहीं दिखे जाने की वजह से क्षीम फैल गया है। वर्दी बर्दी जाड़े के लिये जनवरी में पटना के आई परन्तु वितरण नहीं हुआ। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की वेतन पुनः नवम्बर माह से ही बदला है, परन्तु अभी तक उसे वेतन में नहीं जोड़ा गया है।”

(ii) NEED FOR RECONSIDERATION OF LIFTING OF BAN ON PROHIBITION BY THE BIHAR GOVERNMENT

श्री रामबिलाल पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, मैं नियम सं० 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकषिप्त करता हूँ—

“बिहार सरकार द्वारा मद्य निषेध पर से प्रतिबन्ध उठा दिया जाना गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। इस से सब से ज्यादा हानि हरिजन आदिवासी एवं गरीब वर्ग के लोगों को होगी।

विधान सभा में सभी दलों के हरिजन आदिवासी सदस्यों ने मद्य-निषेध की याच की थी। सभी महिला संगठनों में भी मद्य-निषेध की मांग की थी। मद्य निषेध राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य मुद्दा रहा है तथा 1920 से 1942 तक इस को लेकर आन्दोलन चला। छात्र युवा आन्दोलन ने भी बिहार में नशाबन्दी को लेकर 'शराब की दुकानों पर धरना' का कार्यक्रम चलाया था। संविधान के नीति निर्देशक तत्व में

भी शराबों की नशाबन्दी के सम्बन्ध में निर्देश दिया है, लेकिन बिहार सरकार ने कुछ राजस्व प्राप्ति हेतु तथा शराब के ठेकेदारों को खुश करने के लिये पुनः बिहार में मद्य निषेध पर से प्रतिबन्ध हटा कर गरीबों को कंगाली के कूर में डकेल दिया है।

बिहार में नशाबन्दी से हरिजनों एवं गरीबों में खुशहाली की आशा प्रायी थी।

अतः बिहार सरकार से मांग है कि सरकार मद्य निषेध पर से प्रतिबन्ध उठाने के निर्णय पर पुनर्विचार करे तथा गरीबों के हित में तथा नैतिकता की दृष्टि से शराब पान पर प्रतिबन्ध लगा दे

(iii) IMPLEMENTATION OF THE PALEKAR WAGE TRIBUNAL'S RECOMMENDATIONS

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): Sir, the Information and Broadcasting Minister has stated in Bombay on August 2 that the Government would not succumb to pressure in relation to the implementation of the Palekar Wage Tribunal's recommendations for journalists and non-journalists (Statesman, August 4, page 7.)

I would like to know as to the nature of the 'pressure' being brought on him.

I would also urge the Minister to state as to when these recommendations by the Palekar Tribunal will be placed on the Table of the House.

(iv) NEED TO RUSH RICE TO KERALA

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Alleppey): The rice stock with the Kerala Government is fast dwindling and the Kerala Government requires one lakh tonnes of rice from the Central pool. The Chief Minister of Kerala has already sent one urgent message to the Food and Agriculture Minister of the Centre to this effect. Though the Union Agriculture Minister has already promised to despatch